Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN: 3048-6513 (Online)
Volume: 2 Issue: 4 || September 2025 || DOI: 10.5281/zenodo.17257932

भारतीय महिलायें और संवैद्यानिक अधिकार की जागरूकता

ज्योति[1] & डॉ. मयंक कुमार[2]

सारांश: भारतीय मान्यताओं के अनुसार जहाॅ स्त्रीयों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं (मनुस्मृति) सृष्टि-सृजन और मानवीय सभ्यता के विकास में स्त्री व पुरूष दोनों की समान सृजनात्मक भूमिका रही है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी है। नारी अपने विविध रूपों में पुरूष का संवर्धन, प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान करती है। माता के रूप में नारी पुरूष के चरित्र की संरोपण भूमि है। पत्नी के रूप में नारी पुरष उत्कर्ष का प्रसार स्तम्भ है। भिन्न-भिन्न देश, काल एवं परिस्थियों में महिलाओं की स्थिति, योगदान एवं स्वरूप को लेकर मतांतर रहे हैं।साहित्य एवं ज्ञान लोक ने नारी को गृह कार्य एवं काम प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो काव्यकारों ने सौदर्य-बोधक रूवरूप में नारी निर्माण की ईसप्रक्रिया से समाज में महिलाओं की स्थिति असमानता, शोषण व उत्पीड़न के अनुभवों से जुडती चली गयी। उसे समाज में द्वितीय दर्जा दे दिया गया। वर्तमान समाज अर्थवाद का दास बनता जा रहा है। जहाॅ सम्पत्ति की अनियमिता से अधिक महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद से सत्तावाद तथा सत्तावाद, सम्पत्ति, विलासितावाद, भेगवाद की ओर बढ़ रहा है। आदर्शात्मक मूल्यों का इस वर्तमान समाज में कोई महत्व नही है।

महिलाओं के अधिकारों के विभिन्न तरीके है जिसमें महिलाओं के साथ ही अबोध बालिकाएं भी सदियों से पुरूषों द्वारा अधिकारों के हनन की शिकार रही है तथा वर्तमान में भी इस स्थिति में ज्यादा सुधार नही हुआ है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तरों पर महिलाओं की स्थिति को सुधार के लिए विशेष प्रावधान किए गये है। विश्व जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की कुला जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अर्थात् प्रारम्भ से ही विश्व में महिलायें समाज का एक अभिन्न अंग है परन्तु फिर भी महिलाओं की स्थिति भारत में ही नही अपितु विश्व के सभी देशों में प्रारम्भिक काल से ही दयनीय रही है। महिला विकास यात्रा संक्रमण से गुजर रही है जिसमें सकारात्मक तत्वों का समन्वय है इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं में सशक्तिकरण एवं जागरूकता लाना है साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करना है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय नारी की स्थिति में काफी सुधारात्मक परिवर्तन हुये है। आजादी के 71 वर्षों के पश्चात् हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाये गये अधिनियमों की विवेचना करते है तो स्पष्ट परिलक्षित होता है की हमारे देश में नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाये रखने के लिए काफी सारे कानून बनाये गये है, किन्तु पर्याप्त कानूनी शिक्षा के आभाव में कानून की जानकारी उनको नही मिल पाती। यहाॅ तक कि अधिकांश महिलाओं को यह ज्ञात नही होता कि उन्हें कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के उत्थान एवं उनके प्रति अपराधों को रोकने हेतु कौन-कौन से अधिकार है इसके बारे में वर्णन किया गया है।

बीज शब्द: भारतीय महिला, संविधान, अधिकार, जागरूकता

प्रस्तावना:

महिलाओं के अधिकारों में कमी मानव सभ्यता के विकास के साथ होती गयी है तथा समय के साथ-साथ उनके प्रति अत्याचारों में वृद्धि होती गयी है। मानव अधिकारों के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी विभेद के समान अधिकार प्राप्त होते है परन्तु इसी के सामने के कुछ वर्गों जिनमें विशेषतः महिला वर्ग को रखा जा सकता है। जिनकी स्थिति आधुनिक समय में भी बनी हुई है। महिलाओं के अधिकारों के हन्न

[1] शोध छात्रा (विधि), मेजर एस0डी0 सिंह विश्वविद्यालय, फर्रूखाबाद
[2] शोध निदेशक, मेजर एस0डी0 सिंह विश्वविद्यालय, फर्रूखाबाद

एक का तरीका महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक कृत्य है। जिनके अन्तर्गत परिवार में पति द्वारा समाज में उच्च वर्ग द्वारा एक कार्यकारी स्थान पर नियोक्ता द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है। सामाजिक संरचना व्यवस्था, परमपरायें, रूढ़ियाॅ एवं रीति रिवाज वे मानव कृत होते हुये भी मानव विभेदक है। इन्होंने समाजीकरण व संस्कारगत व्यवहार व मूल्यों के आधार पर स्त्री पुरूष के मध्य विभेदीकरण की एक लकीर खींच दी। नारी निर्माण की इस प्रक्रिया से समाज में महिलाओं की स्थिति असमानता, शोषण व उत्पीड़न के अनुभवों से जुड़ती चली गयी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरण विदों का कहना है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेदिक ऋचाएॅ यह बताती है कि महिलाओं कि शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और उन्हें पति चुनने कि भी आजादी थी। ऋग्वेद और उपनिषाद जैसे ग्रंन्थ कई महिला साध्वी व संतों के बारे में बताते है जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय है।

प्राचीन भारत में कुछ साम्राज्यों में नगरवधु जैसी परंपरा मौजूद थी। महिलाओं में नगर वधु के प्रतिष्ठित सम्मान के लिए प्रतियोगिता होती थी। आम्रपाली नगरवधु का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रही है। अध्ययनों के अनुसार वैदिक काल में महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अधिकार मिलता था। हालांकि बाद में (लगभग 500 ईसा पूर्व) स्मृतियों (विशेषकर मनुस्मृति) के साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गयी और बाबर एवं मुगल साम्राज्य में इस्लामी आक्रमण के साथ और इसके बाद ईसायल ने महिलाओं की आजादी और अधिकारों को सीमित कर दिया हालांकि जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति दी गयी है। भारत में महिलाओंको दासता और बंदिशों का ही सामना करना पड़ा है। आधुनिक समय में भी स्थिति में कोई अधिक बदलाव नही हुआ है।एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बागला देश, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि में लड़कियों का पैदा होना अभिश्राप माना जाता है। इन देशों में पुत्र प्राप्ति की मानसिकता लम्बे समय से चली आ रही है अर्थात् पुत्र को वंश वृद्धि का करण माना जाता है। आज भी अमेरिका जैसे विकसित देश में महिलाओं के साथ अत्याचार के उदाहरण देखे जा सकते है। पश्चिम यूरोप व अमेरिकन देशों में महिला अधिकार की आधार शिला लिंगिय स्वतन्त्रता का प्रश्न है। 1611 में संयुक्त राज्य अमेरिका मेसायुसेट्स राज्य में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अमेरिका ने सर्वप्रथम यह स्वीकार किया कि ''मनुष्य स्वतन्त्र व समान पैदा हुआ है।'' परन्तु उसी अमेरिका ने महिलाओं को 80 वर्ष के उपरान्त मत देने का राजनैतिक अधिकार दिया। विश्व के सन्मुख प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का अनूठा उदाहरण पेश करने वाले स्विट्जरलैंड ने 1971 में महिलाओं को मताधिकार दिया। ब्रिटेन जैसे देश में 1948 में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व स्तर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में विश्व स्तरीय प्रयास किए गये तथा नारी स्वतन्त्रता, सहभागिता, शक्तिवाद, मुक्ति की बात की गयी। नारी को अधिकार प्रदान कर इस दिशा में पहल करते हुये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में ''सयुक्त राष्ट्र महिला हैसियत आयोग'' की स्थापना की। मूल्यतः मानवधिकार की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को घोषित उस सार्वभोमिक घोषणा पत्र से सम्बन्धित है।

भारतीय संविधान एवं महिला अधिकार:

भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश सदियों की दासता व उतार चढ़ाव के पश्चात नये गणराज्य के रूप में उभर कर सामने आया। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस के साथ-साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वन एवं महिलाओं को उत्पीड़न से बीसीएचएएनई हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना बीएचआई की गयी है।

महिलाओं के अधिकारों के लिये भारतीय संविधान में निम्न संवैधानिक प्रावधान किए गये है-

1. (अनु0-14) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार ''भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही किया जायेगा। समानता से यहाॅ अभिप्राय यह है कि स्त्री व पुरूष में किसी भी प्रकार का लिंग भेद नही है तथा यह अधिकार समान रूप से दोनों को प्राप्त होगा।
2. (अनु0-15) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार ''राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेद भाव नही करेगा ''भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि पुरूष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए गये हैं साथ ही इस अनु0 के खण्ड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गयी है।
3. (अनु0-19) अनु0 19 महिलाओं को स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिलायें स्वतन्त्रा पूर्वक भारत राज्य के क्षेत्र में आवागमन कर सकें। किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है।
4. (अनु0-23-24) अनु0 23 व 24 के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण को नारी के मान सम्मान के विपरीत मानते हुये उनकी खरीद फरोख्त, वैश्यावृत्ति कराना आदि को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए सन् 1956 में ''वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट'' भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।
5. (अनु0-39) अनु0 39 के अनुसार स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनु0 39 (द) के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सके।
6. (अनु0 46) अनु0 46 राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा।
7. (अनु0-51) संविधान के भाग 4 के अनु0 51 (क) तथा (3) में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति कि गौरवशाली पंरपरा के महत्व को समझते हुए इस प्रकार कि प्रधाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ हो।
8. (अनु0 243) अनु0 243 (द) के (3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे तथा चक्रानुसार से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किये जायेंगे।
9. (अनु0-325) अनु0 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरूष दोनों को समान रूप से सम्मलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

विधिक उपबन्ध

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं ''ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेद भाव से उनकी सुरक्षा हो सके। भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरूद्ध व्यवस्था की गयी है।

1. (धारा 292 से 294 के तहत) धारा 292 से 294 के तहत विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पीआर रोक लगाई गयी है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्त्रियों के अश्लील चि? प्रदर्शित किये जाते हैं अथवा कोई खरीद फरोख्त की जाती है अथवा अश्लील प्रदर्शन करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा एवं 2 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाओं का प्रावधान किया गया है।

2. (धारा 312 से 318 के तहत) धारा 312 से 318 के तहत यदि कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है , अजन्में शिशुओं को नुकसान पहुंचाता है, शिशुओं को अरक्षित छोड़ता है तथा जन्म छिपाता है तो इस कार्य के लिये दण्ड का प्रावधान किया गया है।
3. (धारा-354) धारा 354 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है अथवा करने के उद्देश्य से अपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
4. (धारा 361) धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और उसे कोई व्यक्ति उसके संरक्षक के संरक्षता के बिना सम्मति के या उसे बहला फुसला कर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपहरण का दोषी होगा तथा उसके खिलाफ धारा 363 से 366 में दण्ड का प्रावधान किया गया है।
5. (धारा 372) धारा 372 के तहत यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को वैश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बेचे जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
6. (धारा 375-376) धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है तथा धारा 376 में बलात्कार के लिये दण्ड का प्रावधान है।
7. (धारा 498) धारा 498 (अ) के अनुसार यदि कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार उसकी पत्नी के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है अथवा दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
8. (धारा 509) धारा 509 के अनुसार यदि कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई इस प्रकार का कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकांतता पर अतिक्रमण होता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त नियम एवं कानून के बाद भी महिलाओं की दशा में कोई विशेष सुधार नही हुआ है यह कहना पूर्णतया सत्य नही है। यह कहना भारतीय संविधान में प्रदान किये गये महिलाओं के अधिकारों का अपमान होगा। यदि एचएम राजनीति की बात करें तो इन्ही अधिकारों की वजह से आधुनिक भारत में महिलायें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आदि के पद पर सुशोभित रही है। यदि हम कलॉ एवं मनोरंजन के क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में भी महिलाओं का स्थान अग्रणी रहा है। जैसे एम0एस0 सूब्बूलक्ष्मी, गंगुबाई हंगल, लता मंगेशकर और आशा भोंसले जैसे गायिकाओं तथा मीना कुमारी, नर्गिस व एश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों को भारत में काफी सम्मान दिया जाता है। अंजलि एला मेनन प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक हैं खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हांसिल की है। जिनमें पी0टी0 ऊषा, जे0जे0 शोभा (एथलेटिक्स), कुंजरानी देवी (भरोतोलन) साइना नेहवाल (बैडमिंट्न) सानिया मिर्जा (टेनिस) व गीता फोगाट आदि प्रमुख है। साहित्य के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका को नकारा नही जा सकता। सरोजनी नायडू कमला नेहरू, सुरैया, शोभा डे, अरूंधिति राय, अनीता देसाई, आदि कुछ प्रमुख नाम है। वाणिज्य में लगभग आधे से अधिक बैंक व वित उधोग की अध्यक्षता महिलाओं के हाथ में रही है। जिनमें अरूधिति भट्टाचार्य, (स्टेट बैंक आॅफ इंडिया) चंदा कोचर (आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक) रेणू सूद कर्नाड (एच0डी0एफ0सी0) चित्रा रामा कृष्ण (नेशनल स्टाक एक्सचंेज) शिखा शर्मा (एक्सिस बैंक) विजय लक्ष्मी अय्यर (बैंक आॅफ इण्डिया) उषा सांगवान भारत की सबसे बड़ी बीमा कम्पनी एल0आई0सी0 की प्रबन्धक निदेशक रही है, लेकिन यह सिक्के का केवल एक ही पहलू है। स्वतन्त्रता के पश्चात् से वर्तमान तक विभिन्न अधिनियम जैसे हिन्दु विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, विवाह विच्छेद व तलाक अधिनियम, वैश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम, गर्भपात की चिकित्सा द्वारा मान्यता आदि कानून होने के पश्चात् भी महिलाओं को इन का लाभ नही मिलता। यदि हम पूरे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि अधिकांश में रिपोर्ट ही दर्ज नही हो पाती। महिलाओं के उत्थान एवं संरक्षण के लिए पर्याप्त अधिनियम है परन्तु महिलाओं को सामानत्या कानूनों व अधिकारों का प्र्याप्त ज्ञान ही नही होता। घरेलू हिंसा से

संबन्धित मामलों में महिलायें आगे नही आती। देश में कुल मतदाताओं में आधी संख्या महिलाओं की है, मगर इसके बाबजूद भी लोक सभा तथा राज्य विधान मण्डलों में उनकी उपस्थिति लगभग नगण्य है। महिलाओं में साक्षारता की दर भी काफी कम है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 66 पुरूषों कि तुलना में सिर्फ 39 महिलायें ही शिक्षित हैं। संविधान में इतने नियम व कानून होने के पश्चात् महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार तो हुआ है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नही। जिसके पीछे मुख्य कारण है अधिकतर महिलाओं को कानूनों एवं अधिकारों के बारे में पर्याप्त ज्ञान का न होना। अतः महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए कानून व सरकार के साथ समाज को भी भागीरथी प्रयास करने होंगे तथा अपनी उचित भूमिका का निर्वाह्न करना होगा। इस सामुहिक प्रयासों से ही महिलाओं को सम्मानीय दर्जा व उनके अधिकारों की प्राप्ति हो सकेगी।

संदर्भ:

- बसु, डी. डी. (2002). भारत का संविधान: एक परिचय (8वाँ संस्करण). नई दिल्ली: प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया.
- शर्मा, बृज किशोर. (2008). भारत का संविधान: एक परिचय (5वाँ संस्करण). नई दिल्ली: प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया.
- पायली, एम. वी. (1977). भारतीय संविधान. दिल्ली: यूनाइटेड बुक हाउस.
- राय, एम. पी. (1984). भारतीय संविधान. जयपुर: कॉलेज बुक डिपो.
- पाण्डेय, जयनारायण. (1985). भारत का संविधान. इलाहाबाद: सेंटर लॉ एजेंसी.
- अंबेडकर. (1965). दि राइज एंड फॉल ऑफ दि हिन्दू वुमन. हैदराबाद: पब्लिकेशन सोसाइटी.
- Keith, A. B. (1961). Constitutional history of India. Allahabad: Central Book Depot.
- Banerjee, A. C. (1961). Constitutional history of India, 1858–1919. London: Macmillan.
- टोपे, टी. के. (1965). भारतीय संविधान. बॉम्बे: पॉपुलर प्रकाशन.

Citation in APA 7th Edition: ज्योति, & कुमार, . मयंक . (2025). भारतीय महिलायें और संवैद्यानिक अधिकार की जागरूकता. Lyceum india journal of social sciences, 2(4), 128–132. https://doi.org/10.5281/zenodo.17257932

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the publisher or editorial board. The publisher assumes no responsibility for any consequences arising from the use of information contained herein.*